


309

II/सिमा/सतना/2018/01359

म.प्र.
न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, न्यायियरी, साहित कोर्ट

सीना मण्डल

1830



धोश्री महेश सिंह
तार फेच 23-2-18
ms

1. महारनया पत्नी रामदेव सिंह उम्र 75 वर्ष पेशा खेती
 2. तीरथ सिंह तनय रामदेव सिंह उम्र 58 वर्ष पेशा खेती
 3. अखिलेश्वर सिंह तनय रामदेव सिंह उम्र 54 वर्ष पेशा खेती
- सभी निवासी ग्राम डेरा तहसील अमरपाटन जिला सतना मण्डल ----- आवेक गण

// बनाम //

रोशनलाल सिंह तनय रामेश्वर सिंह उम्र करीब 55 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम डेरा तहसील अमरपाटन, जिला सतना मण्डल ----- अनावेक

निगरानी विरुद्ध सीमांकन अधिनियम, राजस्व निरीक्षण वृत्त मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना मण्डल, दिनांक 20/06/2017 जो सीमांकन प्रकरण क्र-50/अ12/2016-17 में पारित किया जाकर अनावेक द्वारा कराये गये सीमांकन की पुष्टि की गई ।

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 मण्डल अधिनियम राजस्व संहिता- 1959 ई0

ms

ms



307

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक II / निग 0 / सतना / 2018 / 01359

जिला-सतना

महरनिया सिंह / रोशनलाल सिंह

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 50/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>	